

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.10(201)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.04.2012 द्वारा अधिसूचित पिलानी-विद्याविहार के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर पालिका, पिलानी-विद्याविहार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधनों एवं आमजन से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि पिलानी-विद्याविहार के नगरीय क्षेत्र अनुमोदित मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान-2031 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, पिलानी-विद्याविहार में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग की Website: <https://urban.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

**(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम**

क्रमांक: प.10(201)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, झुंझुनू।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. प्रौद्योगिक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिलानी-विद्याविहार (झुंझुनू)।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम